हिमाचल प्रदेश ईंट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

धाराएं :

1. संक्षित नाम और विस्तार।
2. परिभाषाएं।
3. ईंटों के नियन्त्रण, निर्माण, संग्रहण, वितरण आदि की शक्तियां।
4. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
5. अन्य अधिनियमतियों से असंगत आदेशों का प्रभाव।
6. तलाशी और अभिग्रहण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 और 103 के उपबन्धों का लागू होना।
7. शास्तियां।
8. प्रयत्न धौर दुष्प्रेरण।
9. मिथ्या कथन।
10. कम्पनियों द्वारा अपराध।
11. अपराधों का संज्ञान।
12. अवराधों पर संक्षपतः विचारण करने की शक्ति।
13. आदेशों के बारे में उपधारणा।
14. इस अधिनियन के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
15. निरसन और व्यावृत्ति।

हिमाचल प्रदेश ईंट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1969

(1969 का 29)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 04 अप्रैल, 1987 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अक्तूबर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2129 से 2132 पर प्रकाशित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश राज्य में ईंटों के विनिर्माण, संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन और निपटान और उनसे सम्बन्धित विषयों के विनियमन के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ईंट (नियन्त्रण) अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रोक्षित न हो,—

(क) "ईंट" से भट्टे में पकाया हुआ मिट्टी का दग्ध और ज्यामितीय आकार का कोई टुकड़ा अभिप्रेत है;

(ख) "व्यवहारी" से ईंटों के क्रय या विक्रय के व्यापार में या अन्यथा कारवार में लगा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसका प्रतिनिधि या एजेन्ट इसके अन्तर्गत है.;

(ग) X X X X X X X X

(घ) "भट्ठा" से ईंट पकाने के लिए प्रयुक्त कोई संरचना अभिप्रेत है;

(ङ) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

———————————

1. **पाद टिप्पणीः**— चूँकि अधिनियम राजभाषा में 04 अप्रैल, 1987 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 24 अक्तूबर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2129 से 2132 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाण के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।

3. **ईंटों के नियंत्रण, निर्माण, संग्रहण, वितरण आदि की शक्तियां.**—यदि सरकार की यह राय हो कि ईंटों का प्रदाय बनाए रखने या वृद्धि करने या उनके साम्यापूर्ण वितरण और उचित मूल्य पर उपलभ्य को सुनिश्चित बनाने के लिए, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेगीः—

(क) ईंटों के विनिर्माण, संग्रहण, वितरण, परिवहन, अर्जन या निपटान को अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों द्वारा या अन्यया विनियमित करने के लिए;

(ख) उपर्युक्त विषयों को विनियमित करने की दृष्टि से कोई सूचना या आंकड़े एकत्रित करने के लिए;

(ग) अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों या अन्य दस्तावेजों को मंजूर या जारी करने के लिए और उसके लिए फीस प्रभारित करने के लिए;

(घ) ईटों के क्रय और विक्रय मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए;

(ङ) व्यवहारियों या भट्ठा स्वामियों से ईटों के सम्बन्ध में ऐसे लेखाओं और अभिलेखों को रखने और उसके निरीक्षण के लिए उससे सम्बद्ध ऐसी सूचना देने की अपेक्षा करने के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(च) विशिष्टतः परिसर और वाहनों में प्रवेश और तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ईंटों के, जिनके सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है। अभिग्रहण को सम्मिलित करके, किन्हीं आनुषांगिक और अनुपूरक विषयों के लिए।

4. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश देने की शक्ति, ऐसे विषयों के सम्बन्ध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारियों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

5. **अन्य अधिनियमितियों से असंगत आदेशों का प्रभाव.**— धारा 3 के अधीन दिया गया कोई आदेश, इस अधिनियम से अन्यथा किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी अधिनियमिति के कारण प्रभावशील लिखत में, उससे असंगत किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, प्रभावी होगा।

6. **तलाशी और अभिग्रहण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 102, 103 के उपबन्धों का लागू होना.**—तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 और 103 के उपवन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में ली गई प्रत्येक तलाशी और ऐसी तलाशी के दौरान किए गए प्रत्येक अभिग्रहण को लागू होंगे। 1898 का 5

7. **शास्तियां.**—यदि, कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है, तो,—

(क) वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(ख) कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में आदेश का उल्लंघन किया गया है या उसका ऐसा भाग जो न्यायालय उचित समझे, सरकार को समपहृत हो जाएगा—:

परन्तु यदि न्यायालय की यह राय हो कि, यथास्थिति, समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग का समपहरण निदेशित करना आवश्यक नहीं है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसा करने से विरत रह सकेगी।

8. **प्रयत्न और दुष्प्रेरण.**— कोई व्यक्ति जो धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है या उसका प्रयत्न करता है या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है, तो उस आदेश का उल्लंघन किया गया समझा जाएगा।

9. **मिथ्या कथन.**—यदि कोई व्यक्ति,

(1) जब धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा कोई कथन करना या कोई सूचना देना आपेक्षित हो, कोई ऐसा कथन करता या कोई ऐसी सूचना देता है जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है और जिसे वह जानता है या उसके पास यह करने का युक्तियुक्त हेतुक है या उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है; या

(2) किसी पुस्तक, लेखा, अभिलेख, घोषणा विवरणी या अन्य दस्तावेजों में जो किसी ऐसे आदेश द्वारा उसके द्वारा रखे जाने या प्रतुत किए जाने यथा उपर्युक्त कोई विवरण देता है, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों दण्डनीय होगा।

10. **कम्पनियों द्वारा अपराध.**—(1) यदि धारा 3 के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय जब उल्लंघन किया गया था, कम्पनी के कारवार के संचालन का भारसाधक और कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था और वह कम्पनी भी, उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के दायी होंगे और तदनुसार दण्डित किए जाएंगेः

परन्तु इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि यह वह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए पूर्ण सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या कम्पनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से हुआ है या उनकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाने और तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या अन्य व्यक्तियों का समूह है।

(ख) "निदेशक" से फर्म के सम्बन्ध में फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

11. **अपराधों का संज्ञान.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

1898 का 5

12. **अपराधों पर संक्षिप्त विचार करने की शक्ति.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपर्युक्त संहिता की धारा 260 की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों पर तत्समय संक्षेप्तः विचारण करने के लिए सशक्त कोई मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेटपीठ अभियोजन द्वारा इस से सम्बन्धित आवेदन पर, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर उपर्युक्त संहिता की धारा 262 से धारा 265 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, विचारण कर सकेगी।

1898 का 5

13. **आदेशों के बारे में उपधारणा.**—जहां कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा, इस
1898 का 5 अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया और हस्ताक्षरित आशयित हो, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत किया गया था।

14. **इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**—(1) धारा 3 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(2) धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए अशयित किसी बात के कारण हुई या होने के लिए सम्भाव्य किसी क्षति के लिए, सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

15. **निरसन और व्यावृत्ति.**—(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उप–धारा
1966 का 31 (1) द्वारा संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त "दि ईस्ट
1949 का 1 पंजाब कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाइज ऐक्ट, 1949" का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, एतद्द्वारा निरसित और इस अधिनियम के आरम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया माना जाएगा और जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो प्रवर्तन में रहेगा और तदनुसार ऐसे आदेश के अधीन की गई कोई नियुक्ति, मंजूर शुदा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किया गया निदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि इसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी नियुक्ति, मंजूर शुदा किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या दिए गए निदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता।